न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 48/17 **निर्णय दिनांकः— 24.01.2019**

1. श्रीमती सरोज कंवर पत्नी महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 डी.एल. खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. ओम प्रकाश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भीखनेरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह जाति राजपूत निवासी चक 20 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 263/17

1. श्रीमती सरोज कंवर पत्नी महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी चक 6 डी.एल. खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. ओम प्रकाश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भीखनेरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र लाल सिंह जाति राजपूत निवासी चक 20 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

3. अपील संख्या 237/17

1. बचनलाल पुत्र मंगतूराम जाति चमार निवासी रामसरा तहसील व जिला चूरू हाल आबाद चक 6 डी.एल तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर जरिये मु.आम गणपतराम पुत्र चूनाराम नायक निवासी चक 6 डी.एल. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. ओम प्रकाश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी भीखनेरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व आदेश दिनांक 30—12—2016 व 20—01—2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री नायब सिंह, अभिभाषक अपीलांट् (अपील संख्या 253/17 व 263/17)
2. धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट् (अपील संख्या 237/17)
3. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 30—12—2016 व 20—01—2017 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र जैरकार/आवंटित रहते हुए वादगत् भूमि का बतौर विशेष आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. तीनों अपीलों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण तीनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति तीनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील संख्या 253/17 व 263/17 में बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन हेतु चक 6 डीएल के मुरब्बा नम्बर 130/22 की 25 बीघा भूमि के बाबत् वर्ष 2007 मे प्रार्थना पत्रप्रस्तुत किया गया था तथा अरनेस्ट मनी के रूप में 500/– रूपये जरिये जीए 55 खजानाराज में जमा करवाये गये थे। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। इस प्रकार अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु ओमप्रकाश व सरोजकंवर के आवेदन है। तीनों ही आवेदन वर्ष 2007 के है। श्रीमती सरोज कंवर द्वारा वर्तमान में चक 6 डीएल के मुरब्बा नम्बर 150/22 की 25 बीघा भूमि आवंटित हुई है व सुरेन्द्र सिंह अन्य जिलें का निवासी है। इस आधार पर श्री ओमप्रकाश अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिकता आवांटन 7 के अनुसार सर्वोच्य श्रेणी का है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाता है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या बिल्कुल गलत है क्योंकि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 से जैरकार है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट के रकबे में ही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के रकबे में है तथा वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम

वरियता अपीलांट की ही बनती है। उक्त समस्त तथ्य अदालत मातहत के समक्ष मौजूद रहते हुए भी अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा वादगत् भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत ने आवंटन सलाहकार समिति की मिटिंग बुलाये बिना ही स्वयं अपनी मनमर्जी से बिना वरियता के वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना आवंटन सलाहकार समिति की राये के किया गया आवंटन प्रारम्भतः ही शून्य एवं एब ईनिशियो वाईड आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व अमला से मिली भगत करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कांट—छांट करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन बाले—बाले करवाया गया है। यह तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवेदन पत्र के अवलोकन से भलींभांति साबित भी है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही मात्र वादगत् भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित किये जाने के बाबत् की गई साबित है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील संख्या 237/17 में बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 22—07—1982 को चक 6 डीएल के मुरब्बा नम्बर 130/46 के किला नम्बर 1, 9 ता 11 में 4 बीघा व मुरब्बा नम्बर 130/38 के किला नम्बर 15 ता 17, 23 ता 25 में 6 बीघा, मुरब्बा नम्बर 130/22 के किला नम्बर 1 ता 5 में 5 बीघा व किला नम्क्बर 6 ता 25 में 30 बीघा इस प्रकार कुल 35 बीघा भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन किया गया था तथा आवंटन पश्चात् पट्टा भी जारी कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड होने से शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु कभी प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 147/5 की 19 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर कांट—छांट करते हुए व ओवर राईटिंग करते हुए चक 6 डी.एल. के मुरब्बा नम्बर 143/5 को काटकर मुरब्बा नम्बर 130/22 अंकित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कूटरचना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा जारी किये गये आदेश भी अपने आप में विरोधाभासी आदेश है। पत्रावली में निर्णय दिनांक 20—01—2017 अंकित है, आवंटन आदेश 06—02—17 को जारी करना अंकित है, राशि दिनाक 10—02—17 को जमा करवाई गई है, तब आवंटन आदेश 28—02—17 को जारी करने का अंकन है व कहीं आदेश 30—02—2016 अंकित है। इस प्रकार यह सभी तथ्य अपने आप में जॉच के विषय है।

चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर भूमिहीन आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे। मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि चक 6 डीएल के मुरब्बा नम्बर 130/22 में 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पोडेन्ट द्वारा तमात सबूत यथा तहसील की भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीलिंग सीमा से भूमि कम होने का प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची वर्ष 1988, 2003, सद्भावी कृषक प्रमाण पत्र व आवेदक व पत्नि के दो पासपार्ट साईज फोटो आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम सबूतों की जॉच की गई तथा जॉच उपरान्त अदालत मातहत द्वारा पाया गया कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदकों की तुलना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सर्वोच्य वरियता होने पर तथा आवंटन हेतु तमाम औपचारिकता पूर्ण होने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया हैं।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वर्तमान में कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जहॉ तक अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र जैरकार है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि अन्य आवेदक वैकल्पिक रकबा आवंटन के पात्र होंगे। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। वे अन्य भूमि प्राप्त

करने हेतु स्वत्रन्त है। अतः अपीलांट्स की अपीलें खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि चक 6 डीएल के मुरब्बा नम्बर 130/22 में 25 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट्स ओमप्रकाश का कथन है कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन पत्र वर्ष 2007 से जैरकार रहा है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे साबित है कि अपीलांट् ओमप्रकाश द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 2007 में प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था, जिसका अंकन स्वमेव अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में किया गया है।

(3) प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् बचनलाल का कथन है कि वादगत् भूमि बतौर भूमिहीन वर्ष 1982 से आवंटित भूमि रही है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होकर अपीलांट् की आक्यूपाईड लैण्ड थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् बिना जॉच किये व बिना तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(4) इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तमाम दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह स्थित सामने आती है कि क्या वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था अथवा नहीं? इस संबंध में हमने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र का

अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही यह साबित होता है कि अदालत मातहत व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मिलीभगत करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कांट—छांट की गई है। ऐसी स्थिति में यह संदेहास्पद/जॉच का विषय है कि क्या वास्तव में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत भी किया गया था अथवा नहीं?

(5) प्रस्तुत मामलें में अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से दूसरी स्थिति यह सामने आती है कि अदालत मातहत द्वारा जारी किये गये आदेश भी अपने आप में विरोधाभासी आदेश की श्रेणी में आते है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजों के अवलोकन से साबित है, एक स्थान पर निर्णय दिनांक 20—01—2017 अंकित है तथा आवंटन आदेश 06—02—17 को जारी किया जाना दर्शित है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि दिनाक 10—02—17 को जमा करवाया जाना दर्शित है तत्समय आवंटन आदेश 28—02—17 को जारी करने का अंकन है व अन्य स्थान पर आदेश 30—02—2016 अंकित है। इस प्रकार यह सभी तथ्य अपने आप में विरोधाभासी/सदेंहास्पर व जॉच के विषय है।

(6) प्रकरण में अपीलांट बचनलाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित होता है कि वादगत् भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन अपीलांट बचनलाल को किया गया था। उक्त आवंटन खारिज हो चुका है अथवा नहीं? क्या अपीलांट बचनलाल का आवंटन आज दिनांक तक बहाल है अथवा नहीं? यह तथ्य भी जॉच का विषय है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे प्रकरण से संबंधित तमाम तथ्यों की जॉच करने के पश्चात् विधि सम्मत निर्णय पारित करते।

(7) चूंकि प्रस्तुत मामलें में यह निर्विवाद है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम आवंटन प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, वादगत् भूमि के आवंटन हेतु पात्र अन्य आवेदकों को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रस्तुत मामलें में यह भी स्थिति सामने आई है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र में कांट—छांट करते हुए राजस्व

कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन करवाया गया है। ऐसे आवंटन की पुष्टि किया जाना न्याय का गला घोटनें जैसा होगा। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना उचित पाते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें आंशित रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—12—2016/20—01—2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी आवदेकों/पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व सभी तथ्यों की जॉच करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर